

[2024] 8 एससीआर 451 : 2024 आईएनएससी 610

गौतम कुमार दास

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व अन्य

(आपराधिक अपील सं. 3447/2024)

20 अगस्त 2024

[न्या. बी.आर. गवई* एवं न्या. के.वी. विश्वनाथन,]

विचारणीय विवादयक

मामला नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा उसके पिता, जो एकमात्र नैसर्गिक संरक्षक है, को सौंपने से संबंधित है।

शीर्ष टिप्पणियां

अभिरक्षा - दावा - अपीलार्थी - पिता, एकमात्र जैविक अभिभावक अपनी भाभी की कथित गैरकानूनी अभिरक्षा से नाबालिग बेटी की हिरासत की मांग कर रहे हैं - पति ने अपनी बेटी के जन्म के दस दिन बाद ही अपनी पत्नी को खो दिया और उसके बाद, कोविड-19 के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई - इस क्षति के कारण, पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अपनी भाभी को सौंप दी, हालांकि, उसका बेटा जो अपेक्षाकृत बड़ा था, उसके साथ था - तत्पश्चात्, अपने पुनर्विवाह पर, उसने अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया - पिता ने अधिनियम 1890 के तहत याचिका दायर की, अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा की मांग की, लेकिन मामला वापस ले लिया गया - पिता ने तब अभिरक्षा की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटान किया - सत्यता:

अभिनिर्धारित: नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में, बच्चे का सर्वोपरि कल्याण देखा जाता है - इसका कोई सीधा-सादा फॉर्मूला नहीं हो सकता है - साथ ही, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है - रिट न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग या नहीं करना प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा - केवल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण, भाभी को बच्चे के पालन-पोषण हेतु नाबालिग बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा दी गई थी और केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ वर्षों तक उसकी देखभाल की, यह अपीलार्थी - उसके एकमात्र नैसर्गिक संरक्षक को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है - इसके बाद, अपीलार्थी ने दोबारा शादी कर ली - अब, वह और उसकी पत्नी नाबालिग लड़की की देखभाल कर सकते हैं - तस्वीरों के अवलोकन से पता चलता है कि नाबालिग बच्चा परिवार के साथ अच्छी तरह से घुल-मिल गया है - अपीलार्थी अच्छी तरह से शिक्षित है और दिल्ली में सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत है, जिसका निवास दिल्ली में है जबकि जिस भाभी को बच्चे की अभिरक्षा सौंपी गई थी वह एक दूरदराज के गांव में रहती है - अपीलार्थी अपने बच्चों की देखभाल करने के अलावा, उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है - बच्ची, जिसने कम उम्र में अपनी मां को खो दिया हो, उसे उसके पिता और सगे भाई की संगति से वंचित नहीं किया जा सकता है - नाबालिग बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी उसे अपने सगे परिवार के साथ रहना चाहिए - नाबालिग बच्ची कम समय में ही अपने सगे परिवार के साथ घुलमिल जाएगी - इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश अभिखंडित किया जाता है - नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा उसकी भाभी को सौंप दी जाएगी, हालांकि, उसे दिए गए समय पर अपीलार्थी के निवास पर उससे मिलने की अनुमति होगी - भारत का संविधान - संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 [पैरा 11-17]

उद्धृत निर्णयज विधि

तेजस्विनी गौड़ व अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी व अन्य [2019] 7 एससीआर 335 : (2019) 7 एससीसी 42 - पर भरोसा किया गया।

डॉ. (श्रीमती) वीणा कपूर बनाम श्री वरिंदर कुमार कपूर (1981) 3 एससीसी 92; निर्मला बनाम कुलवंत सिंह व अन्य (2024) एससीसी ऑनलाइन 758; अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद व अन्य [2010] 1 एससीआर 49 : (2010) 2 एससीसी 654 - से संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा केवल पिता के नैसर्गिक संरक्षक को प्रदान करना; अभिरक्षा; गैरकानूनी अभिरक्षा; कोविड-19; अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता; नाबालिग बच्चे का कल्याण; नैसर्गिक संरक्षक; मिलने का अधिकार।

से उद्धृत मामले

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 3447/2024 रि.या.आप. संख्या 416/2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 03.04.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थितियां

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण सौरव अग्रवाल, आशीष कुमार तिवारी, अनुराग तिवारी, अजय शर्मा, साहब पटेल।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण हिरेन शर्मा, सुधीर मेंदीरता, सौरभ गोयल, आदित्य सलूजा, सुश्री वंशिका सी, सुश्री दिशा भल्ला, ध्रुव राजपाल, सुश्री हर्षिता सभरवाल, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री सृजा चौधरी, अनंत, सुश्री सजल

भारद्वाज, मुकेश कुमार मरोरिया, नचिकेता जोशी, सिद्धार्थ सिन्हा, संतोष कुमार, आदित्य शंकर दीक्षित।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. बी.आर. गवई,

1. अनुमति प्रदानित।
2. वर्तमान अपील में रिट याचिका (आप) सं. 416/2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 3 अप्रैल 2024 के अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका का निपटान कर दिया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 (अपीलार्थी की भाभी) की कथित गैरकानूनी अभिरक्षा से अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा प्राप्त करने की मांग की गई थी, और पक्षकारों को संबंधित बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले कुटुम्ब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।
3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:
 - 3.1. दिनांक 27 जनवरी 2012 को, अपीलार्थी ने सुश्री सुब्रत दास से विवाह किया और विवाह पश्चात् दो बच्चे पैदा हुये - पहला बच्चा, मास्टर दिव्यांशु दास, दिनांक 11 सितंबर 2013 को तथा दूसरा बच्चा, सुश्री/बेबी सुगंधा दास 20 अप्रैल 2021 को पैदा हुयी।
 - 3.2. जब उनकी बेटी सिर्फ 10 दिन की थी, तब अपीलार्थी ने दुर्भाग्य से दिनांक 30 अप्रैल 2021 को कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी पत्नी को खो दिया। इसके तुरंत बाद अपीलार्थी पर एक बार फिर त्रासदी आई क्योंकि उसने दिनांक 13 मई 2021 को कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने पिता को खो दिया।
 - 3.3. अपने प्रियजनों को खोने के गम में अपीलार्थी ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्यर्थी सं. 5, जो उसकी भाभी है, से मदद ली। अपीलार्थी ने अपने बच्चों की अभिरक्षा अंतरिम/अस्थायी समाधान के

रूप में अपनी भाभी को सौंप दी, ताकि वह अपनी पत्नी और पिता को खोने के कारण होने वाले कठिन दौर से गुजर सके।

- 3.4** कुछ समय बाद नाबालिग बेटे की अभिरक्षा अपीलार्थी को वापस दे दी गई, लेकिन नाबालिग बेटी की अभिरक्षा प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा इस आधार पर रखने की मांग की गई कि लड़की अभी भी काफी छोटी है और उसे कुछ और महीनों तक किसी महिला की देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप नाबालिग बेटी की अभिरक्षा प्रत्यर्थी सं. 5 के पास ही रही।
- 3.5** इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 5 ने किसी न किसी बहाने से अपीलार्थी को नाबालिग बेटी से मिलने से मना करना शुरू कर दिया। वह नाबालिग बेटी को पश्चिम बंगाल के बेलदा स्थित अपने मायके ले गई, जहां नाबालिग बेटी की अभिरक्षा प्रत्यर्थी सं. 6 को सौंप दी गई।
- 3.6** इस बीच, अपीलार्थी ने अपने बच्चों को एक महिला की देखभाल और ध्यान देने हेतु पुनः विवाह कर लिया। उसने अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा वापस पाने के लिए पुनः प्रत्यर्थी सं. 5 से संपर्क किया, लेकिन उसे फिर से मना कर दिया गया।
- 3.7** इन घटनाओं से दुखी होकर अपीलार्थी ने दिनांक 7 जुलाई 2023 को संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 10 के तहत मामला सं. जीपी/71/2023 दायर कर अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा की मांग की। अपीलार्थी ने दो शिकायतें भी दर्ज कीं, एक दिल्ली में और दूसरी बेलदा, पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- 3.8** इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 30 जनवरी 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में रि.या.(आप.) सं. 416/2024 दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 से अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा की मांग की गई।
- 3.9** उच्च न्यायालय के दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेशानुसार, अपीलार्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत अपना मामला वापस ले लिया। इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने पक्षकारों से

बातचीत की और मामले को व्यावहारिक समाधान खोजने हेतु मध्यस्थता के लिए भेजा। मध्यस्थ की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, खंड न्यायापीठ मिलने के अधिकार के लिए एक अंतरिम व्यवस्था पर पहुंची। हालांकि, अंतिम निर्णय एवं आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को सक्षम अधिकारिता के कुटुम्ब न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका का निपटान कर दिया।

- 3.10** इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेशानुसार, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि नाबालिग बेटी दिल्ली में ही रहेगी। दिनांक 17 मई 2024 के आदेशानुसार, इस न्यायालय ने तथ्यों पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद यह विचार किया कि अपीलार्थी के पास अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा का दावा करने के लिए वैध आधार हैं। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी नाबालिग बेटी के प्यार और स्नेह को जीतने के लिए उचित अवसर देना उचित समझा और तदनुसार अपीलार्थी, उसकी दूसरी पत्नी और उसके बेटे को उससे मिलने का अधिकार दिया। इस न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था आज तक जारी है।
4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरव अग्रवाल एवं प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हीरेन शर्मा को सुना है।
5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय से याचिका खारिज करने में त्रुटि हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी नाबालिग बेटी सुगंधा दास का एकमात्र जीवित जैविक माता-पिता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी नाबालिग बच्ची सुगंधा दास का नैसर्गिक संरक्षक है, जबकि प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 न तो विधिक अभिभावक हैं और न ही उनके पास नाबालिग लड़की सुगंधा दास पर कोई विधिक अधिकार या प्राधिकार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी, जो एक नैसर्गिक संरक्षक है, को अपने ही बच्चे की अभिरक्षा पाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तेजस्विनी

गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत है।

6. श्री अग्रवाल ने आगे प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्ची सुगंधा दास के हित में यह भी है कि वह अपने पिता के साथ रहे जो दिल्ली में रहते हैं जबकि प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बेलदा में रहते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्ची सुगंधा दास अपने जैविक भाई की संगति से भी वंचित रहेगी।
7. श्री अग्रवाल ने विभिन्न तस्वीरों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्ची सुगंधा दास अपीलार्थी, उसके बेटे व उसकी पत्नी के साथ अच्छी तरह घुलमिल गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने एवं उसे अपास्त करने के लिए दबाव डाला और प्रत्यर्थीगण को नाबालिग बच्ची सुगंधा दास की अभिरक्षा तुरंत अपीलार्थी को सौंपने का निर्देश दिया।
8. प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत दायर याचिका वापस ले ली है, वह उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य अपीलार्थी की पहली पत्नी स्वर्गीय सुश्री सुब्रत दास के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह अपीलार्थी ही है जिसने नाबालिग बच्चे सुगंधा दास की अभिरक्षा स्वेच्छा से प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 को सौंप दी थी। लिखित प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 ने अपीलार्थी के खिलाफ कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने डॉ. (श्रीमती) वीना कपूर बनाम श्री वरिंदर कुमार कपूर, निर्मला बनाम कुलवंत सिंह व अन्य और अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद व अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।
9. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आने से पूर्व, तेजस्विनी गौड़ (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ लेना समीचीन होगा, जिसमें यह न्यायालय वर्तमान मामले में उत्पन्न लगभग समान तथ्यों पर विचार कर रहा

था। उक्त मामले में भी, विवाह के पश्चात्, पत्नी को स्तन कैंसर का पता चला तथा पति तपेदिक मेनिनजाइटिस तथा फुफ्फुसीय तपेदिक से बीमार पड़ गया। जब पति का उपचार चल रहा था, तब पत्नी की एक बहन तथा उसके पति नाबालिग बच्ची शिखा तथा उसकी बीमार मां को मुंबई स्थित अपने निवास पर ले गए। उपचार के दौरान, पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। नाबालिग बच्चा पत्नी की बहन तथा उसके पति के संरक्षण में रहा। चूंकि पिता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से वंचित किया गया, इसलिए उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया तथा नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा पति को सौंपने का निर्देश दिया। इससे व्यथित होकर, पत्नी की बहन तथा उसके पति ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय के समक्ष, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की वैधता पर आपत्ति उठाई गई थी। उक्त तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"21. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी मां जेलम की बहनें और भाई हैं, जिनके पास नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जबकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, पहला प्रत्यर्थी पिता नाबालिग बच्चे का नैसर्गिक संरक्षक है तथा उसे बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का विधिक अधिकार है। बच्चे की अभिरक्षा के लिए पिता के अधिकार पर कोई विवाद नहीं है और बच्चा 1½ वर्ष की आयु का नाबालिग होने के कारण अपनी विवेकपूर्ण पसंद को व्यक्त नहीं कर सकता है। अतः, हमारे विचार से, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पिता, नैसर्गिक संरक्षक होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने के लिए असाधारण उपाय का आह्वान करने में न्यायोचित था।"

10. उक्त मामले में, पूर्व के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की:

"34. जैसा कि रोजी जैकब /रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल (1973) 1 एससीसी 840] में पहले उल्लेख किया गया है, पिता की

योग्यता को मुख्य रूप से सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसके नाबालिग बच्चों के कल्याण के संदर्भ में विचार, निर्धारण और तौला जाना चाहिए। बच्चे के कल्याण में नैतिक पालन-पोषण, अभिभावक की आर्थिक भलाई, बच्चे का सामान्य आराम, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल होंगे। बच्ची शिखा ने अपनी माँ को खो दिया जब वह सिर्फ चौदह महीने की थी और अब उसे बिना किसी वैध कारण के अपने पिता के प्यार से वंचित किया जा रहा है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया है, पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं। उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर है।

35. बच्चे के कल्याण का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा न्यायालय इस मामले में पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रथम प्रत्यर्थी ने न तो बच्चे को छोड़ा है और न ही बच्चे को उसके प्यार और स्नेह के अधिकार से वंचित किया है। परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि माता-पिता की बीमारी के कारण अपीलार्थीगण को कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करनी पड़ी। केवल इसलिए कि अपीलार्थी रिश्तेदार होने के नाते कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करते हैं, वे बच्चे की अभिरक्षा नहीं रख सकते हैं। अपीलार्थीगण का यह मामला नहीं है कि प्रथम प्रत्यर्थी बच्चे की देखभाल करने के लिए अयोग्य है, सिवाय इसके कि उसका तर्क है कि बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके पास कोई महिला सहायक नहीं है। प्रथम प्रत्यर्थी अपनी बीमारी से पूरी तरह उबर चुका है और अब स्वस्थ है और उसे अपनी माँ का समर्थन प्राप्त है और वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है।”

11. तेजस्विनी गौड़ (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्यों की तरह, वर्तमान मामले के तथ्य भी अजीब हैं। अपीलार्थी की पत्नी की कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई और इस तरह, उसे नाबालिग बच्ची सुगंधा दास की अभिरक्षा प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 को देनी पड़ी, जो मृतक पत्नी की बहनें हैं। उस समय बच्ची सुगंधा दास की बहुत कम उम्र को देखते हुए, अपीलार्थी उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। हालाँकि, अपीलार्थी अपने बेटे दिव्यांशु दास की देखभाल कर रहा था, जो अपेक्षाकृत बड़ा

था। इसके बाद, अपीलार्थी ने दूसरी शादी कर ली। अब, वह और उसकी पत्नी नाबालिग लड़की सुगंधा दास की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। अभिलेख पर रखी गई तस्वीरों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा दिए गए मिलने के अधिकारों के अनुसार, नाबालिग बच्ची परिवार के साथ अच्छी तरह घुलमिल गई है और चार लोगों का परिवार खुश दिखाई देता है।

12. जहाँ तक अपीलार्थी की योग्यता का सवाल है, वह अच्छी तरह से शिक्षित है और वर्तमान में केंद्रीय भंडारण निगम, दिल्ली में सहायक महाप्रबंधक (श्रेणी ए अधिकारी) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का निवास भी दिल्ली में है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 6, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा सौंपी गई थी, पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गाँव में रह रही है। अपने बच्चों की देखभाल करने के अलावा, अपीलार्थी अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। बच्ची सुगंधा दास, जिसने कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया, उसे उसके पिता और सगे भाई की संगति से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक समय में, अपीलार्थी के पास अपने नवजात बच्चे के पालन-पोषण के लिए अपनी मृत पत्नी की बहनों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
13. हमारी राय में, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 को नाबालिग बच्ची सुगंधा दास की अस्थायी अभिरक्षा दी गई और केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ वर्षों तक उसकी देखभाल की, यह अपीलार्थी को नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, जो कि उसका एकमात्र नैसर्गिक संरक्षक है।
14. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सवाल है, ऐसा लगता है कि उन्हें बाद में ही लगाया गया है, और खास तौर पर तब जब अपीलार्थी ने अपनी नाबालिग बेटी सुगंधा दास की अभिरक्षा के लिए अपना दावा पेश करना शुरू किया। जहाँ तक इस न्यायालय के उन निर्णयों का सवाल है जिन पर प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 ने भरोसा किया है, हम केवल इतना कह सकते हैं कि अभिरक्षा के मामलों में कोई सीधा-सादा फॉर्मूला नहीं हो सकता है।

15. हाल ही में, इस न्यायालय ने *निर्मला* (पूर्वोक्त) के मामले में पैराग्राफ 16 में यह भी टिप्पणी की है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
16. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित सभी निर्णयों में एक आम बात यह है कि *बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है*। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के नैसर्गिक संरक्षक होने के अलावा, नाबालिग बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी उसे अपने नैसर्गिक परिवार के साथ रहना चाहिए। नाबालिग बच्चा अभी कम उम्र का है और वह थोड़े समय में अपने प्राकृतिक परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से घुलमिल जाएगा। अतः हम अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।
17. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:
- अपील की अनुमति है;
 - उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है;
 - प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को नाबालिग बच्ची सुगंधा दास की अभिरक्षा तत्काल सौंपने का निर्देश दिया जाता है; तथा
 - तथापि, हम प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को प्रत्येक बुधवार को सायं 04:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपीलार्थी के निवास पर नाबालिग बच्ची सुगंधा दास से मिलने की अनुमति देते हैं।
18. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटान कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी।

शीर्ष टिप्पणियां निधि जैन द्वारा तैयार की गयी।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation